समाचार वाणी
ख़बर जो करें असर !

नाशिक | Thursday, 24 September 2026

गुवाहाटी फ्लाईओवर पर पत्नी का जन्मदिन मनाना पड़ा महंगा : रेड कार्पेट, आतिशबाजी और केक कटिंग के बाद कारोबारी समेत 14 लोगों पर केस

Sanket Morankar

Published on 24 Jun 2026

असम की राजधानी गुवाहाटी में एक कारोबारी को अपनी पत्नी का जन्मदिन फ्लाईओवर पर शाही अंदाज में मनाना भारी पड़ गया। आधी रात को सार्वजनिक फ्लाईओवर को पार्टी वेन्यू में बदलकर रेड कार्पेट बिछाने, आतिशबाजी करने और केक काटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पुलिस हरकत में आ गई। मामले में कारोबारी समेत कुल **14 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज** किया गया है, जबकि आयोजन में इस्तेमाल किए गए **चार वाहनों को भी जब्त** कर लिया गया है।

पुलिस का कहना है कि सार्वजनिक स्थान पर इस तरह का आयोजन न केवल यातायात व्यवस्था के लिए खतरा था, बल्कि इससे आम लोगों की सुरक्षा भी प्रभावित हो सकती थी।

फ्लाईओवर पर बना दिया पार्टी वेन्यू

जानकारी के मुताबिक, यह घटना **22 जून की देर रात करीब 12:10 बजे** की है। गुवाहाटी के एक फ्लाईओवर पर कारोबारी **गौतम बरुआ** ने अपनी पत्नी **करबी बरुआ** के 42वें जन्मदिन के अवसर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया था।

वीडियो में देखा जा सकता है कि फ्लाईओवर पर लाल रंग का रेड कार्पेट बिछाया गया था। दोनों ओर सजावट के लिए गुब्बारे लगाए गए थे और जमीन पर चलने वाली आतिशबाजी (ग्राउंड फाउंटेन फायरवर्क्स) की व्यवस्था की गई थी।

कार्यक्रम के दौरान करबी बरुआ रेड कार्पेट पर चलते हुए दिखाई देती हैं, जबकि उनके पति गौतम बरुआ उनके साथ केक काटते और जन्मदिन मनाते नजर आते हैं।

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

इस पूरे आयोजन का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। वीडियो सामने आते ही लोगों ने सार्वजनिक फ्लाईओवर

का निजी समारोह के लिए इस्तेमाल किए जाने पर नाराजगी जताई।

कई लोगों ने इसे सार्वजनिक संपत्ति का दुरुपयोग बताते हुए प्रशासन से कार्रवाई की मांग की।

वीडियो वायरल होने के बाद गुवाहाटी पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू की और आयोजन में शामिल लोगों की पहचान की।

पुलिस ने कारोबारी को हिरासत में लिया

जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि इस कार्यक्रम का आयोजन गौतम बरुआ ने किया था। इसके बाद पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए हिरासत में लिया।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार कार्यक्रम में उनके कई मित्र और परिचित भी शामिल थे। सभी के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

चार वाहन जब्त

पुलिस ने बताया कि आयोजन के दौरान फ्लाईओवर पर कई निजी वाहन खड़े किए गए थे, जिससे सार्वजनिक मार्ग बाधित हुआ।

कार्रवाई के तहत आयोजन में इस्तेमाल किए गए **चार वाहनों को जब्त** कर लिया गया है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या कार्यक्रम के लिए किसी प्रकार की प्रशासनिक अनुमति ली गई थी या नहीं।

सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे का आरोप

भरालूमुख पुलिस स्टेशन में इस मामले में **भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023** की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस का कहना है कि सार्वजनिक मार्ग पर इस तरह का आयोजन लोगों की सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है और यातायात व्यवस्था को भी प्रभावित करता है।

मामला **भरालूमुख पुलिस स्टेशन केस नंबर 79/2026** के रूप में दर्ज किया गया है और विस्तृत जांच जारी है।

निजी समारोह के लिए सार्वजनिक स्थान का उपयोग बना विवाद

यह मामला सामने आने के बाद सार्वजनिक स्थानों के निजी उपयोग को लेकर भी बहस शुरू हो गई है। सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में लोगों ने सवाल उठाया कि यदि आम नागरिक सार्वजनिक फ्लाईओवर पर इस तरह कार्यक्रम आयोजित करने लगें तो कानून-व्यवस्था और यातायात व्यवस्था पर गंभीर असर पड़ सकता है।

पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक संपत्ति का इस प्रकार निजी आयोजनों के लिए उपयोग किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है और भविष्य में ऐसे मामलों में भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।

फिलहाल पुलिस आयोजन में शामिल सभी लोगों की भूमिका की जांच कर रही है और मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है।

DISCLAIMER: the views/contents expressed/presented herein, within this advertorial and promotional feature are the sole and exclusive responsibility of individual clients/expert/their authorised representative/Sanket Morankar, to which effect, publication house/its representative/affiliates are not responsible/liable whatsover.